न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा
राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0

...नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
...1 / 2022	3.01.2022	9.03.2024

उनवान

1– छीता बाई उर्फ नट्टी बाई पुत्री गोपाल जी, पत्नी रतनलाल जी जाति कीर निवासी जाखडोंद तहसील दीगोद हाल निवासी गुआटा तहसील इन्द्रगढ जिला बूँदी
(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
(प्रतिवादी)

वदनी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते में खसरा नम्बर 519 की 0.60 हेक्टर भूमि वाके ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादनली के पिता गोपाल जी व अन्य के नाम दर्ज चली आ रही थी। गोपाल जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था , गोपाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में गोपाल जी का नाम इंतकाल तस्दीक किया गया , इंतकाल के समय वादनी का नाम सहवन से नट्टी बाई दर्ज हो गया।

3– यह कि वादनी का नाम छीता बाई है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम सहवन से नट्टी दर्ज किया हुआ है, जो गलत है।

4– यह कि वादनी का नाम छीता बाई है तथा वादनी के परिवार के राशन कार्ड , निर्वाचन आयोग की आई डी , आधार कार्ड में छीता बाई अंकित है इस कारण राजस्व रिकार्ड में नट्टी अंकित होने के कारण वादनी अपने हिस्से की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस सम्बन्ध में वादनी ने पूर्व में बैंक में ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था किन्तु बैंक अधिकारी वादनी का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड में व राजस्व रिकार्ड में अलग अलग होने के कारण वादनी को ऋण उपलब्ध कराने में आना कानी करते है।

5– यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम नट्टी के स्थान पर छीता बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 22.12.2021 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6– यह कि वाद कारण दिनांक 22.12.2021 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया।

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा

यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

कि ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 519 की 0.60 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम नट्टी पुत्री गोपाल के स्थान पर छीता बाई उर्फ नट्टी पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2074–2077 ग्राम आटोन खाता संख्या 77

2– नकल छायाप्रति आधार कार्ड छीतरलाल

3– नकल छाया प्रति राशन कार्ड

4– नकल छाया प्रति पहचान कार्ड

5– नकल छाया प्रति भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः–

1– तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का किशोरपुरा दिनांक 12.05.2022 अनुसार सह खातेदार नट्टी पुत्री गोपाल व छीता बाई पुत्री गोपाल एक ही महिला का नाम है तथा तहसीलदार दीगोद द्वारा राजस्व रिकार्ड में नट्टी पुत्री गोपाल के स्थान पर छीता बाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में सहखातेदार छीता बाई का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है। पत्रावली को बहस पर नियत किया जाकर पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु चिन्हित किया गया।

बहस वादनी के अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद उपस्थित है। वादनी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के विन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड , जवाब सरकार एवं वादनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया।

वादनी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में संलग्न उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम आटोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 519 की 0.60 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम नट्टी पुत्री गोपाल के स्थान पर छीता बाई पुत्री गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा